बिहार सरकार
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग
सं0–4 / निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13 / 2015– 144

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,
निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी
बेगूसराय।

पटना–15, दिनांक– 29.03.17

विषयः **वित्तीय वर्ष–2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अधीन कुल ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रू0) मात्र का पुर्नावंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना(50:50) के तहत विभागीय पत्रांक–08 दिनांक–29.04.2016 द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश मद में ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़ रू0) एवं राज्यांश मद में ₹5,00,00,000/– (पांच करोड़ रू0) अर्थात कुल ₹10,00,00,000/– (दस करोड़ रू0) मात्र की स्वीकृति दी गई है। जिसके आलोक में पत्रांक–17 दिनांक–06.06.16 द्वारा केन्द्रांश मद में ₹3,15,00,000/– (तीन करोड़ पन्द्रह लाख) एवं राज्यांश मद में ₹3,15,00,000/– (तीन करोड़ पन्द्रह लाख) अर्थात कुल ₹6,30,00,000 (छः करोड़ तीस लाख) मात्र की राशि आवंटित की गई है।

2– उपरोक्त आबंटित राशि में से जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक 139 दिनांक–17.03.2017 द्वारा अनु0 जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 के तहत गठित अनु0 जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली–1995 एवं संशोधन नियम–2014 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में व्यय के आवंटित राशि में से कुल ₹1139326/–(ग्यारह लाख उनचालीस हजार तीन सौ छब्बीस रू0) मात्र का प्रत्यर्पण प्राप्त हुआ है। जिसे स्वीकार किया जाता है।

3– उपरोक्त प्रत्यार्पित राशि में से वित्तीय वर्ष–2016–17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के अधीन जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक–516 दिनांक–27.03.17 के मॉग के आलोक में केन्द्रांश मद में ₹2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रू0) एवं राज्यांश मद में ₹2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रू0) अर्थात कुल ₹500000/– (पाँच लाख रू0) मात्र पुर्नावंटित किया जाता है।

4– इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

5– इस राशि से अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम–1989, संशोधन अधिनियम–2015, नियम–1995 एवं (संशोधन) नियम–2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध–1{नियम–12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ–साथ नियम–12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कर, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम के तहत (i) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीड़ित/पीडता को राहत और पुनर्वास (v) प्रचार–प्रसार (vi) जागरूकता (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) के अधीन अनु0 जाति और अनु0 जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6– राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगें। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7– केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–"2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0218–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम–विषय शीर्ष–3302–मुआवजा विपत्र कोड सं0–P2225012770218" तथा राज्यांश के लिए मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष– "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लधु शीर्ष–277–शिक्षा–उपशीर्ष–0318–अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम–विषय शीर्ष–3302–मुआवजा, विपत्र कोड सं0–P2225012770318" से विकलनीय है।

8– इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9– इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक–31–04–2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेगें।

10– इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

विश्वासभाजन ,

(वीरेन्द्र कुमार) 31/17
निदेशक।

ज्ञापांक–4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13/2015– 144 पटना, दिनांक– 29.03.17

प्रतिलिपि : 1–महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2– प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/पुलिस महानिरीक्षक (क0 व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3– प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत एवं मुंगेर /जिला पदाधिकारी, शिवहर/उप विकास आयुक्त, शिवहर एवं बेगूसराय / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत एवं मुंगेर/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/ जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर एवं बेगूसराय/आई0 टी0 मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक। 3/17

ज्ञापांक–4/निदे0पी0सी0आर0(विविध)02–12–13/2015– 144 पटना, दिनांक– 29.03.17

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 3/17